राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 309/2023

ताराचन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं उप शासन सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर।
4. भंवर सिंह चारण, ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 31.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण पंचायत समिति दूदू, जयपुर से पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर किया गया। जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2021 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर के स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर डूंगरपुर अंकित करते हुए विकास अधिकारी, पंचायत समिति बसेड़ी, धौलपुर किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 89(8)(ii) में यह प्रावधान है कि *"Transfer shall be made after consulation with the Pradhans be made. "or the Pramukhs, as the case may be of the Panchayat Samitis or the Zila Parishad from and to which such transfer is proposed to be made."* के उल्लंघन में जारी किया गया है। इस संबंध में

अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11358/2021 किशन सैनी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 (अनुलग्नक–3) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है। स्थानान्तरण से पूर्व परामर्श नहीं किया गया है तद्नुसार आदेश वैध एवं नियमानुसार नहीं होना प्रकट होता है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर ब्लॉक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर में कार्यरत रखा जावे।

निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 19.01.2023 को कैवियट प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 89(8)(ii) के प्रावधान अपीलार्थी पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि उक्त नियम में वर्णित पदों में अपीलार्थी का पद (खण्ड विकास अधिकारी) शामिल नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार सक्षम है। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 ने बताया की निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 राज्य सरकार के आदेश की पालना में पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) में खण्ड विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है एवं अपीलार्थी कार्यमुक्त हो चुका है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा जारी अपीलाधीन आदेशों में पंचायत समिति श्रीनगर डूंगरपुर अंकित होने का प्रश्न है, यह टंकण/लिपिकीय त्रुटि है, यह सारभूत त्रुटि नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है एवं स्थानान्तरण आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 31.01.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)